UPRB010080892025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारीः-अमित पाल सिंह, एच०जे०एस० (यू०पी०-5691)

दाण्डिक निगरानी संख्या-392/2025

रामनरेश उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र दुजई, निवासी पूरे तेजी मजरे ओदारी, थाना जायस, जनपद अमेठी।

------निगरानीकर्ता/परिवादी

बनाम

1- उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।
2- नंगू वयस्क पुत्र सियाराम
3- जानकी वयस्क पत्नी सियाराम
4- शोभावती वयस्क पत्नी नंगू
समस्त निवासीगण पूरे तेजी मजरे ओदारी, थाना जायस, जनपद अमेठी।

-----प्रतिपक्षीगण

निर्णय

01- प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा अन्तर्गत धारा-438/440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, रायबरेली, द्वारा परिवाद संख्या-4087/2024, रामनरेश बनाम नंगू आदि, अन्तर्गत धारा-427 भारतीय दण्ड संहिता, थाना जायस, जिला अमेठी, में पारित आदेश दिनाँकित 22-08-2025 के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके द्वारा प्रतिपक्षीगण को मात्र धारा-427 भा०दं०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया है।

02- निगरानी के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/परिवादी ग्राम पूरे तेजी मजरे ओदारी, थाना जायस, जिला अमेठी का निवासी है। प्रार्थी के ही गांव के नंगू पुत्र सियाराम बहुत दबंग व सरहंग व्यक्ति हैं, जो प्रार्थी की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं तथा विरोध करने पर रंजिश रखते हैं। इसी रंजिश के कारण दिनाँक 17-05-2023 को समय करीब 1.30 बजे रात्रि में नंगू,जानकी तथा शोभावती ने प्रार्थी के घर में रखे छप्पर में आग लगा दी। प्रार्थी ने पकड़ने का प्रयास किया तो गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। इन लोगों के आगलगा देने के कारण घर का छप्पर, छप्पर के नीचे रखी चारपायी, बर्तन, तथा बारह हजार रूपये भी जल गये। इन लोंगो को आग लगाकर भागते हुये सुन्दरलाल ने भी देखा है। घटना की सूचना

प्रार्थी ने थाने में दी थी, किन्तु कोई कार्यवाही नही हुयी, तब प्रार्थी ने दिनाँक 09-06-2023 को घटना की सूचना जरिये रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक महोदय अमठी को दिया था, किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी को उपरोक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न हुयी तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र स्वीकृत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की याचना की गयी।

03- प्रार्थी/परिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस अधीक्षक अमेठी को भेजे गये शिकायती प्रार्थनापत्र की छायाप्रति मय रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत किया तथा मौखिक साक्ष्य में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० एवं साक्षीगण पी०डब्लू०-1 सुन्दरलाल तथा पी०डब्लू०-2 रामलखन का बयान अन्तर्गत धारा-202 दं०प्र०सं० अंकित कराया। तदोपरान्त विपक्षीगण नंगू, शोभावती व जानकी के विरूद्ध धारा-427 भा०दं०सं० का आरोप प्रथम दृष्ट्या बनना पाते हुये उक्त विपक्षीगण को धारा-427 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु आदेश दिनाँकित 22-08-2025 के द्वारा तलब किया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी/परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी इस आधार पर योजित की गयी किः-

04. परिवादी/निगरानीकर्ता द्वारा घटना के समर्थन में प्रार्थनापत्र का समर्थन करते हुये माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सशपथ सभी अपराधों में समान रूप से साक्ष्य दिया है, किन्तु माननीय अवर न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किये प्रश्नगत आदेश दिनाँकित 22-08-2024 पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। परिवादी/निगरानीकर्ता व अन्य गवाहों ने सशपथ अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा-202 दं०प्र०सं० में सभी आरोपों के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया है, जिसमें प्रथम दृष्ट्या सभी अपराधों के सम्बन्ध में पयार्प्त साक्ष्य होते हुये भी, योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश निरस्त किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आग लगाने, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में भी प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किये, सम्बन्धित धाराओ में तलबी आदेश पारित न करके न्याय के सिद्धान्त के विपरीत आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः आक्षेपित आदेश दिनाँक 22-08-2025 निरस्त करने की याचना के साथ निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुये विपक्षीगण/ अभियुक्तगण को धारा-436,504,506 व 427 भा०दं०सं० में तलब किये जाने की याचना की गयी है।

05- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा विद्वान अधीस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश दिनाँकित आक्षेपित आदेश दिनाँक 22-08-2025 का सम्यक परिशीलन किया।

06- निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा बयान अन्तर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० व साक्षीगण सुन्दरलाल पी०डब्लू०-1 व रामलखन पी०डबलू०-2 द्वारा अन्तर्गत धारा-202 दं०प्र०सं० में परिवाद में अभिकथित समस्त तथ्यों का समर्थन किया गया है और उक्त के फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी के छप्पर में रात में आग लगा दिये जाने और आग में चारपाई, बारह हजार रूपये, बिस्तर, व राशन आदि जल जाना और मौके पर निगरानीकर्ता/परिवादी के पहुँचने पर अभियुक्त/प्रत्यर्थीगण का मौके से भाग जाने के आधार पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध धारा-436,504,506,427 भा०दं०सं० के अपराधों हेतु प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। तद्नुसार, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किये बिना मनमाने ढंग से प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण को मात्र धारा-427 भा०दं०सं० के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है।

07- उपरोक्त के आधार पर निगरानीकर्ता/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पारित किये जाते समय स्वयं न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विधि अनुरूप प्रयोग न किया जाना और अभिकथित तथ्यों व प्रस्तुत साक्ष्य का बिना कोई विश्वलेषण किये प्रश्नगत आदेश पारित किया जाना पूर्णतया स्पष्ट है, अतः प्रस्तुत आपराधिक निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

08- प्रश्नगत आदेश व अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा मूलतः दिनाँक 17.05.2023 की घटना की बाबत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3)दं०प्र०सं० थाना जायस पर उक्त विपक्षीगण के विरूद्ध अपराध पंजीकृत कराये जाने हेतु अवर न्यायालय के समक्ष योजित किया गया जिसे आदेश दिनाँकित 04.03.2024 से बतौर परिवाद पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया। तदोपरान्त निगरानीकर्ता/परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० व साक्षीगण सुन्दरलाल व रामलखन के बयान अन्तर्गत धारा-202 दं०प्र०सं० के आधार पर प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में यह अवधारित किया गया है कि विपक्षीगण नंगू,शोभावती व जानकी द्वारा परिवादी रामनरेश के घर में आग लगाना तथा जान से मारने की धमकी दिया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है, परन्तु उसके विपरीत न्यायालय द्वारा विपक्षीगण नंगू, शोभावती व जानकी के विरूद्ध मात्र धारा-427 भा०दं०सं० का अपराध बनता हुआ प्रतीत होने के आधार पर मात्र धारा-427 भा०दं०सं० में विपक्षीगण को तलब किया गया। इस प्रकार, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जहां आग लगाये जाने या जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रथम दृष्ट्या अपराध पाये जाने पर भी विपक्षीगण को उक्त अपराधों में तलब न करके विधिक त्रुटि कारित की गयी है, क्योंकि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त के विपरीत मात्र धारा-427 भा०दं०सं० के अपराध हेतु तलब किये जाने के सम्बन्ध में

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कोई विश्वलेषण किया जाना परिलक्षित नही होता है जिस कारण प्रस्तुत आपराधिक निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पुनः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु पत्रावली अवर न्यायालय प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अवर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, रायबरेली द्वारा वाद संख्या-4087/2024, रामनरेश बनाम नंगू आदि, अन्तर्गत धारा-427 भा०दं०सं०, थाना जायस, जिला अमेठी, में पारित आक्षेपित आदेश दिनाँकित 22-08-2025 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पुनः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु अवर न्यायालय प्रतिप्रेषित की जाती है।

(अमित पाल सिंह)
यू०पी०-05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
17-06-2026

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित कर सुनाया गया।

(अमित पाल सिंह)
यू०पी०-05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
17-06-2026

Sarita

Digitally signed by AMITPAL SINGH
Date: 2026.06.18 13:05:03 IST
Reason: Document Owner Judgment
Location: District and Sessions Court
Raebareli